Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 ◻ अंक- 110 ◻ रायपुर, गुरुवार 15 मई 2025 ◻ पृष्ठ-8 ◻ मूल्य- 2.50 रुपया ● रायपुर ● जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

छूट के बावजूद नहीं बिक रहे हाउसिंग बोर्ड के मकान 380 करोड़ की संपत्ति फंसी, अब 2027 तक बढ़ी स्कीम

- 5 से 10 साल पुराने मकानों पर 20-30प्रतिशत छूट
- 10 साल से अधिक पुराने मकानों पर 30प्रतिशत छूट
- पहली बार छूट श्रेणी में आए मकानों पर 10 प्रतिशत छूट

रायपुर, 15 मई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड को राज्यभर में आवंटित मकानों की बिक्री में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 10 साल से ज्यादा पुराने मकानों पर 10 से 30 प्रतिशत तक की छूट देने के बावजूद भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। इससे बोर्ड की अनुमानित 380 करोड़ रुपए की संपत्ति फंसी हुई है और राजस्व ठप हो गया है। बोर्ड के पास वर्तमान में 2651 मकान हैं, जिन्हें बेचा जाना है। इनमें सबसे अधिक रायपुर जिले में बोरिया कला, डूमरतराई, पिरदा, नवा रायपुर सेक्टर 27 और 29 में 254 करोड़ के 1420 मकान हैं। बिलासपुर जिले के तिफरा और अभिलाषा परिसर में 50 करोड़ के 225 मकान और दुर्ग जिले के परसदा, कुम्हारी और तालपुरी में 44 करोड़ के 500 मकान शामिल हैं। ये सभी मकान 5 साल से ज्यादा पुराने हैं। बोर्ड ने इस साल 757 मकानों की बिक्री कर 103 करोड़ की आमदनी की, लेकिन डिस्काउंट के चलते इसे केवल 10 करोड़ का ही लाभ हुआ। मार्च 2025 में छूट की स्कीम खत्म होने से पहले केवल 113 करोड़ की संपत्तियां ही बिक पाईं।

जानकारों के अनुसार, मकानों की खराब गुणवत्ता और उनका शहर से दूर होना बड़ी वजह है कि लोग इनमें दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। साथ ही, प्राइवेट बिल्डरों की तुलना में हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट सुविधाओं के मामले में काफी पीछे हैं। सुरक्षा, पार्किंग, मेंटेनेंस और विजिट सुविधा जैसी बुनियादी चीजों की कमी लोगों को दूर कर रही है। जहां प्राइवेट बिल्डर्स की सेल्स टीमें व्यक्तिगत रूप से प्रोजेक्ट्स दिखाकर ग्राहकों को लुभाती हैं, वहीं सरकारी प्रोजेक्ट्स में विजिट के समय अक्सर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता। इससे ग्राहकों का भरोसा नहीं बन पाता। बोर्ड के अधिकांश प्रोजेक्ट 2015 के आसपास लॉन्च किए गए थे। कई मकान लंबे समय से खाली पड़े हैं और अब धीरे-धीरे जर्जर हो रहे हैं, जिससे उनकी बिक्री और भी मुश्किल हो रही है। बोर्ड ने छूट की स्कीम को 31 मार्च 2025 से बढ़ाकर अब 30 जून 2027 तक लागू कर दिया है।

अवनीश शरण, आयुक्त, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने कहा- हमें उम्मीद है कि लोग छूट का फायदा उठाएंगे। हम सस्ते दर पर मकान उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ ही जो व्यवस्थागत खामियां हैं, उन्हें भी सुधारा जाएगा।

रक्षामंत्री के श्रीनगर दौरे से पहले 3 आतंकी ढेर

पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की हो वैश्विक निगरानी : राजनाथ

नई दिल्ली, 15 मई (न्यूज चैनल)। रक्षामंत्री के दौरे से कुछ घंटों पहले भारतीय सेना ने गुरुवार सुबह अवंतीपोरा के त्राल में तीन आतंकियों को ढेर कर दिया। सेना से जुड़े सूत्रों ने बताया इसमें एक टॉप कमांडर आसिफ शेख भी शामिल है। इसके अलावा आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट को भी ढेर कर दिया गया है। ये तीनों पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल थे। हालांकि, अधिकारियों की तरफ से आतंकियों की मौत की पुष्टि होना बाकी है।

जम्मू-कश्मीर में पिछले तीन दिनों में यह दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले शोपियां जिले के केलर में 13 मई को सुरक्षाबलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के तीन आतंकवादी मारे गए थे। बुधवार को केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का आग्रह किया। यह बात ऐसे समय में कही गई है जब कुछ ही दिनों पहले परमाणु हथियार संपन्न दोनों पड़ोसी देशों ने लगभग तीन दशकों में अपने सबसे खराब सैन्य संघर्ष को समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं पूरी दुनिया से पूछता हूं कि क्या ऐसे गैरजिम्मेदार और दुष्ट देश के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं। मेरा मानना है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में ले लिया जाना चाहिए।

ब्रेकिंग न्यूज

तमिलनाडु के में फैक्ट्री में सीवेज टैंक फटने से 20 ग्रामीण

नई दिल्ली, 15 मई (न्यूज चैनल)। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले के मुथुनगर के पास कुडीकाडु इलाके में एक फैक्ट्री में सीवेज टैंक फटने से कम से कम 20 लोग घायल हो गए। तस्वीरों में दिख रहा है कि विस्फोट के बाद टैंक से पानी लीक होकर आस-पास के घरों में घुस गया, जिससे गांव में आवासीय ढाँचे क्षतिग्रस्त हो गए। शक्तिशाली विस्फोट ने केवल फैक्ट्री परिसर को भारी नुकसान पहुँचाया, बल्कि आस-पास के आवासीय क्षेत्रों को भी प्रभावित किया। उन्होंने बताया कि विस्फोट के बल पर टैंक से सीवेज का पानी लीक हो गया, जो गाँव में फैल गया, जिससे कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और निवासियों में दहशत फैल गई।

स्कार्पियो ने ट्रैक्टर को मारी जबरदस्त ठोकर, एक व्यक्ति की मौत, ड्राइवर गंभीर

नेशनल हाईवे 30 पर डाडेसरा पेट्रोल पंप के पास बीती रात्रि हुई भीषण सड़क दुर्घटना

कुरूद, 15 मई (हाईवे चैनल)। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के बीच एक और दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटी है। नेशनल हाइवे 30 में डांडेसरा पेट्रोल पम्प के पास देर रात्रि भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने ट्रेक्टर को पीछे से जोरदार ठोकर मार दी स्कॉर्पियो और ट्रेक्टर में भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गये। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली का पिछला टायर अपने ट्रैक्टर सहित उखड़ कर सड़क से दस फीट दूर जा गिरा। हादसे में स्कार्पियो सवार मोहन लाल रात्रे की दर्दनाक मौत हो गई जबकि ड्राइवर गुलशन रात्रे गंभीर रूप से घायल है, जिसे रायपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक खिसोरा निवासी मोहन लाल रात्रे अपने नाती और नातिन को उनके मामा के घर धमतरी के तेलिनसती छोड़ने गया था वापस लौटने के दरमियान डांडेसरा पेट्रोल पम्प के पास हादसे का शिकार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कॉर्पियो वाहन की स्पीड काफी ज्यादा थी वहीं हादसा पेट्रोल टंकी के पास हुआ है जहां हल्की से टर्निंग है। ड्राइवर हाई स्पीड होने की वजह कार को कंट्रोल नहीं कर पाया और धान से भरी ट्रैक्टर को पीछे जबरदस्त ठोकर मार दिया।

भिलाई से बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार

भिलाईनगर, 15 मई (हाईवे चैनल)। अवैध रूप रह रहे अप्रवासियों के धरपकड़ के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को बड़ी सफलता मिली है। भिलाई में दो साल से नाम व पहचान छिपाकर रह रही बांग्लादेशी महिला पन्ना बीबी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशी महिला पन्ना बीबी भिलाई में अंजली सिंह उर्फ काकोली घोष के नाम से पहचान छिपाकर रह रही थी। आधार कार्ड को एडिट कर फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार किए गया था। उक्त जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा में कही। उन्होंने बताया कि बांग्लादेशी महिला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 विदेशी नागरिक विषयक अधिनियम 1946 एवं भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिला में ऐसे लोगों की पहचान के लिये वशेष कार्य बल (एसटीएफ) का गठन किया गया है। एसटीएफ व्दारा लगातार दुर्ग में अवैध रूप रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हेतु कार्यवाही की जा रही है।

अवैध घुसपैठियों की पहचान की इस कड़ी में 14 मई को पता चला कि सुपेला नेहरू रोड में सुरज साव के मकान में एक बांग्लादेशी महिला अपनी पहचान छिपाते हुए काकोली घोष उर्फ अंजली सिंह के छद्म नाम से रह रही है। इस सूचना तस्दीकी एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु एसटीएफ को निर्देशित किया गया। जब एसटीएम की टीम के द्वारा सूरज साव के मकान में रह रही महिला से पूछताछ की गई तो उसने गुमराह करने का प्रयास किया। उसने अपना नाम अंजली सिंह, पूर्वी दिल्ली, नांगलोई निवासी होना बताया। अंजली सिंह के नाम से आधार कार्ड भी प्रस्तुत किया, जो जांच के दौरान पहली नजर में सन्देहास्पद पाया गया। महिला से बारीकी से पूछताछ करने पर उसने अपना मूल नाम पन्ना बीबी पिता अब्दुल रौफ 25 वर्ष मूल निवासी दौधीरपार, दौलतपुर फुलवारी गेट, पोस्ट बादामतला सिरामोनी जिला खुलना बांग्लादेश का होना बताई। जांच के दौरान पाया गया कि पन्ना बीबी लगभग 8 वर्ष पूर्व बिना वैध पासपोर्ट एवं वीजा के अवैध रूप से बांग्लादेश से बोन्गांव पेट्रोपोल, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल स्थित भारत बांग्लादेश अंर्तराष्ट्रीय बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया। कोलकाता आकर अपना नाम काकोली घोष बता कर सोनागाछी में लगभग 5 वर्ष अवैध रूप से रही। वहां से दिल्ली में लगभग 1 वर्ष रही। दिल्ली में रहने के दौरान भिलाई निवासी पूजा नामक लड़की से परिचय होने के बाद उसके साथ भिलाई आकर विगत लगभग 2 वर्षों से सुपेला नेहरू रोड स्थित सूरज साव के मकान में रह रही थी। भिलाई रहने के बांग्लादेशी महिला पन्ना बीबी द्वारा पन्ना बीबी द्वारा संचालित मोबाइल की जांच किए जाने पर इसके व्दारा अपने मोबाइल फोन से बांग्लादेश के लगभग एक दर्जन से अधिक मोबाइल नम्बरों से पिता, भाई, बहन एवं अन्य रिश्तेदारों से लगातार बात करना एवं सम्पर्क में रहना पाया गया। जांच के दौरान संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक पन्ना बीबी द्वारा स्वयं को अंजली सिंह परमजीत सिंह, वेस्ट दिल्ली आधार कार्ड नंबर 921756650853 को एडिट कर उसे अपना बताया। आधार की फेटो ब्लर किया गया जिससे पहचान छिपाई जा सके। बांग्लादेशी नागरिक की मूल पहचान को छिपाने के लिए काकोली घोष एवं अंजली सिंह के नाम से निवास करना, अंजली सिंह के नाम से स्वयं को दिल्ली निवासी बताकर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर प्रस्तुत कर उसका दुरूपयोग करना अपराध धारा विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14(1) एवं पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 3(2), 3(3) एवं धारा 318, 319, 336(3) बीएनएस का होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा मकान मालिक पर भी कार्रवाई की जा रही है।

बिरादरी की बात

चूहा- सुनती हो, मप्र के मंत्री के विवादित बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को फटकार लगाते हुए कहा कि जाओ माफी मांगो, कुछ समझदारी दिखाओ।
चुहिया- हां जी, लेकिन मंत्री बनने के बाद समझदारी रह कहां जाती है..!

प्लांट में फर्नेस ब्लास्ट, चपेट में आए 4 मजदूर, 2 की हालत गंभीर

आज तड़के मां मनी प्लांट में हुआ हादसा

बिलासपुर/रायगढ़, 15 मई (हाईवे चैनल) रायगढ़ जिले अंतर्गत पुंजी पथरा गांव में आज तड़के मां मनी प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया. संयंत्र में फर्नेस ब्लास्ट (भट्ठी विस्फोट) की घटना के दौरान 4 मजदूर झुलस गए, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है. सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, घायलों में अनुज कुमार (उम्र- 35 वर्ष), सुधीर कुमार (उम्र 47 वर्ष), रामानंद सहनी (उम्र 40 वर्ष) और संजय श्रीवास्तव (उम्र 52 वर्ष) शामिल हैं. सुबह-सुबह ये सभी मजदूर रोज की तरह अपने काम में लगे थे. इसी दौरान अचानक फर्नेस में धमाका हुआ, जिससे वहां काम कर रहे ये चारों मजदूर चपेट में आ गए. विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के अन्य कर्मचारी भी दहशत में आ गए. घायलों की पहचान की जा रही है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चारों मजदूर बिहार के निवासी हैं, जो मां मनी प्लांट में ठेके पर कार्यरत थे. इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया है. हादसे की सूचना मिलते ही पुंजी पथरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. फिलहाल प्लांट में काम बंद कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस और फैक्ट्री प्रबंधन इस बात की जांच कर रहे हैं कि ब्लास्ट किस कारण हुआ और क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था.

आरक्षक की हत्या के बाद अब पटवारी और पत्रकार पर जानलेवा हमला, 8 गिरफ्तार

रेत माफियाओं के हौसले बुलंद

बालोद, 15 मई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में रेत माफिया की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है. बलरामपुर में आरक्षक की हत्या के बाद अब बालोद जिले में रेत माफियाओं ने पटवारी और पत्रकार पर हमला कर अपनी दहशत का नया चेहरा दिखाया है. यह हमला उस वक्त हुआ जब पटवारी अवैध रेत भंडारण की सूचना पर जांच के लिए पहुंचे थे और स्थानीय पत्रकार इसकी कवरेज कर रहे थे.

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला पुरुर थाना क्षेत्र के ग्राम मरकाटोला का है, जहां अवैध रेत भंडारण की शिकायत पर पटवारी मौके पर जांच के लिए पहुंचे थे. उनके साथ स्थानीय पत्रकार भी कवरेज के लिए वहां मौजूद थे. इसी दौरान रेत माफिया और उनके गुर्गों ने मिलकर दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया. पत्रकार की शिकायत के आधार पर पुरर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस हमले का मुख्य आरोपी अभी फरार है. पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं. यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब बलरामपुर में अवैध रेत खनन रोकने गए एक आरक्षक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बीती रात 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया. अब बालोद में सामने आए इस हमले ने प्रशासन की गंभीरता और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जिले के कई रेत घाटों में बिना अनुमति रेत का उत्खनन धड़ल्ले से जारी है. यह भी आरोप लगे हैं कि संबंधित विभागों की कार्रवाई केवल खानापूर्ति तक सीमित है, जिससे रेत माफियाओं के हौसले दिन-ब-दिन बुलंद होते जा रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट की ओर से समयसीमा तय किए जाने पर राष्ट्रपति ने उठाए सवाल, कहा- संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं

नई दिल्ली, 15 मई (न्यूज चैनल)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 अप्रैल 2025 को दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में आदेश दिया था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी हंगामा हुआ। अब राष्ट्रपति ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा कि देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर यह फैसला दे सकता है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समयसीमा तय करने जैसे विषयों पर स्पष्टीकरण मांगा है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में दिए अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल

राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे ये 14 सवाल

1. राज्यपाल के समक्ष अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास क्या विकल्प हैं?
2. क्या राज्यपाल इन विकल्पों पर विचार करते समय मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं?
3. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा लिए गए फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है?
4. क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत लिए गए फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह से रोक सकता है?
5. क्या अदालतें राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत लिए गए फैसलों की समयसीमा तय कर सकती हैं, जबकि संविधान में ऐसी कोई समयसीमा तय नहीं की गई है?
6. क्या अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसले की समीक्षा हो सकती है?
7. क्या अदालतें अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति द्वारा फैसला लेने की समयसीमा तय कर सकती हैं?
8. अगर राज्यपाल ने विधेयक को फैसले के लिए सुरक्षित रख लिया है तो क्या अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी चाहिए?
9. क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा क्रमशः अनुच्छेद 200 और 201 के तहत लिए गए फैसलों पर अदालतें लागू होने से पहले सुनवाई कर सकती हैं।
10. क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों में बदलाव कर सकता है?
11. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की मंजूरी के बिना राज्य सरकार कानून लागू कर सकती है?
12. क्या सुप्रीम कोर्ट की कोई पीठ अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच को भेजने पर फैसला कर सकती है?
13. क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश/आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों मेल न खाता हो?
14. क्या अनुच्छेद 131 के तहत संविधान इसकी इजाजत देता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है?

की ओर से भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति को तीन महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर तय समयसीमा में फैसला नहीं लिया जाता तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा के पास वापस भेज सकते हैं। अगर विधानसभा उस विधेयक को फिर से पारित करती है तो राष्ट्रपति को उस पर अंतिम फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अदालत ने कहा कि अगर राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ जाकर फैसला लिया है